फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सुशीला पत्नी पुत्री रामलाल जाति- जाट साकिन [illegible] पाली [illegible] वगैरह		सुवालाल पुत्र रामलाल [illegible] जाति- जाट साकिन [illegible] तह. सोजत

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53व 188 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं.: 44/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
28-05-2019	वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188व 53 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/~~नोटिस~~ तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 06-08-2019 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	नोटिस 339 30/5/19
06-08-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को आवश्यक तामील [illegible] बार बार आवाज दिलाने पर भी [illegible] अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादीगण प्रति.सं.4 की पुनः तलबी का तलबाना PF/ समन पेश [illegible] समय चाहते हैं, समय दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27-08-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	
27-08-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। तलबाना PF/ समन प्रति.सं.4 की पुनः तलबी का तलबाना प्रति.सं.4 का पेश किया, सम्मन जारी किया जावे। पत्रावली आयन्दा तामील तलब किया जाकर दिनांक 26-09-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	658 9/9/19
26-09-19	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। आवश्यक तामील प्रति.सं. 5 को जारी समन [illegible] बार बार आवाज दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली आयन्दा वास्ते शहादत वादिया दिनांक 14-10-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
14-10-2019	अधिवक्ता वादीनी उपस्थित। आदेशिका वादी पेश करने का समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 04-12-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.	
24-10-2019	अधिवक्ता अप वादिया उपस्थित। अधिवक्ता अप वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता अप वादिया ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद वापिस विड्रोल करवाने बाबत पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है व उक्त प्रकरण आपसी समझाईश से पटाक्षेप हो चुका है व आपस में आपसी विवाद एवं मनमुटाव खत्म हो गए। इसलिए उक्त वाद प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः अधिवक्ता अप वादिया को पुनः वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद वापिस विड्रोल खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। अतः हस्ब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अप वादिया का उक्त वाद आगे चलाना नहीं चाहते हैं उक्त वाद नया वाद लाने का अधिवक्ता अप वादिया का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को वापिस विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से अभी बाद तकमील जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर रिकार्ड अगाड़ी जमा हो। SDO, Sojat.	प्रतिया